ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

80 /18

तारीखरज़ू– 18/12/18

उनवान:– रूपसिंह आदि बनाम समयसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 29.01.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 713 रकवा 0.09 है0 ग्राम धाटरा शेरपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मौके की यथास्थिति के आदेश दिए जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.01.2019 को पेश हो।

5792-08
18/12/18

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

29.1.19 प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नं. 1 ता 11 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता Adv. ने मीमो पेश कर वकालतनामा पेश करने समय चाहा। अप्रार्थी नं. 12 बावजूद सूचना उप. नहीं है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वकालतनामा व जवाब पेश करने दिनांक 1.3.19 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नकुलाय उप०। बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस दिनांक 17.2.20 को पेश हो।

17.2.20
~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी...अवकाश पर...
पत्रावली गतानुसार दिनांक...4.3.20...
को पेश हो।

4.3.20 नकुलाय उप०। बहस हेतु समय चाहा। वास्ते बहस दिनांक 6.3.20 को पेश हो।

6.3.20 नकुलाय उप०। बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज शामिल किये। वास्ते आदेश दिनांक 16.3.20 को पेश हो।

16.3.20 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। यह पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। वकील उभय पक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया कि आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 0.09 है० की खातेदारी सायलान हिस्सा 1/2 एवं गैरसायलान 1 ता 8 हिस्सा 1/2 की है। गैरसायलान 9, 10, 11 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है फिर भी स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कर रहे हैं जिसे पुलिस के सहयोग से रुकवाया गया है। मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए गैरसायलान 9 से 11 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वकील गैरसायलान 9 ता 11 ने बहस में कथन किया कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में मौके पर सरसों की फसल काश्त होने का वर्णन किया है जबकि

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
	मौके पर सम्पूर्ण पर आबादी बनी हुई है, मौके पर काश्त नही° है मकानात बावत शपथ पत्र पेश किया हुआ है दिनांक 24.6.19 की फर्द मौका रिपोर्ट मे गैर सायलान 9 ता॰ 11 का कब्जा माना है, मकान कई वर्षो पूर्व के बने है। गैरसायलान 1 से 8 ने अपने हिस्सा की आराजी को विक्रय करना स्वीकार किया है वर्ष 1991 मे लिखा पढ़ी की थी इसलिए सायलान का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।
	बहस के दौरान उभर कर आये तथ्यों का निस्तारण मूल वाद के निस्तारण मे किया जाना न्यायोचित है। मूल वाद के निस्तारण तक दिनांक 18.12-18 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूं। अतः गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम घाटरा शेरपुर की भूमि खसरा नम्बर 713 रकबा 0.09 है॰ पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.3.20 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ सैलग्न रहे।
	(दुर्गाप्रसाद मीना) उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:42:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: